

Attachement 2.10 (A)

क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का निरीक्षण आख्या

परियोजना का नाम : जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.895 हे० आरक्षित, 1.069 हे० सिविल, कुल 5.964 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनु० के शासनादेश सं० 883 (1)/10-3-2011-8 (21)/2010 दिनांक 4/10/2011 के अनुसार जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत सरकोट-देवसारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित की गई समस्त वन भूमि 4.434 हे० एवं मक डिस्पोजल हेतु 1.81 हे० को सम्मिलित करते हुए कुल 5.964 हे० वन भूमि का तहसील स्तरीय कमेटी द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या दिनांक 23-02-2016 द्वारा निम्न क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं।

5.964 हे० वन भूमि के एवज में दुगने क्षेत्रफल में घेस सिविल कुल 11.

928 हे० भूमि सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज नहीं है।

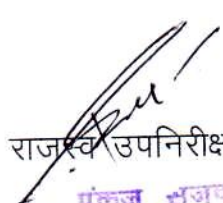
अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तावित दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उक्त स्थलों की भूमि वन विभाग के हक में संस्तुति की जाती है।


खण्डीय अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशास्त्री अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
थराली, (चमोली)


राजेश्वर उपनिरीक्षक
पंकज राजवाण
राजेश्वर उप निरीक्षक
क्षेत्र-
तहसील-
जिला-चमोली


तहसीलदार
तहसीलदार
थराली


तहसीलदार
थराली (चमोली)


जिलाधिकारी
चमोली


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


वन क्षेत्राधिकारी


प्रभागीय वनाधिकारी
चमोली